राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3727/2022

बनवारी लाल फागेरिया —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव (प्रशासन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (ESTT-I), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।
3. कैलाश सी बैरवा वर्तमान में पदस्थापित सहायक अभियन्ता, एईएन (क्लस्टर), रीड़ी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.11.2022
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियन्ता के पद पर एईएन (132 केवी जीएसएस) लोसल में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एईएन (132 केवी जीएसएस) लोसल से एईएन (क्लस्टर), रीड़ी (riri) के पद पर किया गया है। उक्त स्थानान्तरण किए जाने का कोई प्रशासनिक कारण उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। परन्तु स्थानान्तरण आदेश में "Own request" अंकित किया गया है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 30.03.1964 है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में लगभग 19 माह की समयावधि शेष रहने पर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ0 पुष्पा मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का उद्धरण दिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय रह जाने पर स्थानान्तरण को अनुचित एवं विधि विरूद्ध माना है। इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) आरम्भ से ही अनुचित, अवैध एवं मनमाने होने की वजह से विधितः संवहनीय हनीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य

आदेश अनुलग्नक–1 के क्रियान्वयन को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावे।

इस संबंध में आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया तथा स्पष्ट किया गया कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार नए सिरे से जिले में ही स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र होगा, उसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 की पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा दिनांक 20.08.2022 को लोसल में कार्य ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–आर/1) के द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.08.2022 में "Own request" के स्थान पर "Nigam interest" जारी किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलात अपीलकर्ता अधिकरण) धारा, 1976 के नियम 2(c) के तहत अधिकरण को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिडेट के सेवा मामलों को सुनने का अधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.12.2022 को स्थगन निरस्त कराने हेतु निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 08.09.2022 द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.08.2022 में "Own request" के स्थान पर "Nigam interest" जारी कर दिया गया था तथा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलात अपीलकर्ता अधिकरण) धारा, 1976 के नियम 2(c) के तहत अधिकरण को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिडेट के सेवा मामलों को सुनने का अधिकार नहीं होने के कारण अधिकरण द्वारा अपील में दिए गए दिनांक 24.08.2022 के स्थगन आदेश को न्याय के सिद्धान्त के अनुसार समाप्त (Vacate) किया जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अधिकरण के आदेश दिनांक 24.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत अधिकरण के उक्त स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2022 को समाप्त (Vacate) करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में व्यक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया था फिर भी उसका स्थानान्तरण "Own request" अंकित करते हुए स्थानान्तरण किया

गया है तथा स्थानान्तरण आदेश के नीचे अंकित बिन्दु संख्या 3 में टीए/डीए तथा योगकाल अनुमत्त नहीं किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश दोषपूर्ण है तथा अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2022 जारी होने के बाद संशोधन दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–आर/1) के द्वारा "Own request" के स्थान पर "Nigam interest" पढा जाने का आदेश जारी करने से आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 का दोष समाप्त नहीं हो जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 19 माह की समयावधि शेष रह गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा सेवानिवृत्ति में दो वर्ष शेष रहने की स्थिति में स्थानान्तरण नहीं करने के आदेश दिए गए है। अतः उक्त समस्त तथ्यों दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन गुरूत्तर (More Justfied) है। अतः प्रत्यर्थी विभाग का स्थगन समाप्त (Vacate) करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण अन्यत्र करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य